संख्या-43/637/84-1-13-4विविध(बजट)/2009

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,

उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 7 अक्टूबर, 2013

विषय- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के प्रथम तल के निर्माणाधीन भवन के पुनरीक्षित आगणन के अनुसार धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1192/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./ब0आ0/13-14, दिनॉक 27 जून, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की गठित पीठों में से तीसरी पीठ के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु पी0एफ0ए0डी द्वारा प्रश्नगत कार्य की पुनरीक्षित लागत रू0 421.69 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 99.88 लाख की व्यवस्था अनुपूरक मॉग के माध्यम से कराये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित किया गया था, किन्तु वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव स्वीकार न करते हुए प्रश्नगत धनराशि की व्यवस्था विभागीय बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने का परामर्श दिया गया है। अत: अनुरोध है कि कृपया विभाग में हो रही बचतों के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु पुनर्विनियोग का प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in